भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

उच्चतर शक्षा वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या- **1365**

उत्तर देने की तारीख-08/**2**/2025

स्नातकोत्तर और पीएच.डी. कार्यक्रमों में नामांकन

† 1365. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या *शक्षा* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) शैक्ष णक सत्र 2020-21 से 2024-25 तक सभी केंद्रीय वश्व वद्यालयों, वशेष रूप से आईआईटी, आईआईएम और आईआईएससी जैसे संस्थानों में स्नातकोत्तर और पीएच.डी. कार्यक्रमों में नामां कत छात्रों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार (अनुसू चत जाति, अनुसू चत जनजाति, अन्य पछड़ा वर्ग और आ र्थक रूप से कमजोर वर्ग) संख्या कतनी है;

(ख) क्या स्नातकोत्तर और पीएच.डी. कार्यक्रमों में अनुसू चत जाति, अनुसू चत जनजाति और अन्य पछड़ा वर्ग के छात्रों के नामांकन और पाठ्यक्रम पूरा करने की दर में लगातार गरावट आई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पछले पांच वर्षों में केंद्रीय वश्व वद्यालयों और केंद्र-प्रायोजित संस्थानों में अनुसू चत जाति, अनुसू चत जनजाति और अन्य पछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ हुए जाति-आधारित भेदभाव, उत्पीड़न या अपमान के संबंध में दर्ज शकायतों/मामलों की कुल संख्या कतनी है;

(घ) पछले पांच वर्षों में केंद्रीय वश्व वद्यालयों और केंद्र-प्रायोजित संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने और अप्राकृतिक मृत्यु के कुल कतने मामले दर्ज कये गए; और

(ङ.) देश भर के सभी परिसरों में यूजीसी (समानता को बढ़ावा देने) नियमों के लागू होने की वर्तमान स्थिति क्या है**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार**)**

(क) से (ड़): देश में उच्चतर शक्षा की स्थिति को चत्रित करने के लए, शक्षा मंत्रालय, उच्चतर शक्षा पर वा र्षक अ खल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) आयोजित करता है और उपलब्ध एआईएसएचई आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से सीयू, आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी में स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के लए एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के नामांकन में वृद् ध हुई है।

एनईपी 2020 में उच्चतर शक्षण संस्थानों में प्रदान कए जाने वाले शैक्ष णक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास सु वधा के माध्यम से शैक्ष णक मार्गों के संदर्भ में छात्रों की निर्बाध गतिशीलता और लचीलेपन की व्यवस्था की गई है। एनईपी 2020 के सद्धांतों के अनुरूप, सीएफएचईआई ने छात्रों के लए कई सु वधाजनक उपाय भी शुरू कए हैं, जिनमें छात्रों की शैक्ष णक प्रगति की निगरानी के लए सलाहकारों की नियुक्ति, शै क्षक रूप से कमजोर छात्रों के लए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान, सहपाठी सहायता प्राप्त शक्षा, तनावग्रस्त छात्रों को परामर्श, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा और पाठ्येतर गति व धयां शा मल हैं।

स्वैच्छिक कार्यक्रमों, छात्र परामर्श/प्र शक्षण सत्रों और शकायत निवारण तंत्र के माध्यम से छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लए सीएचईआई में वशेष रूप से आईआईटी में छात्र कल्याण केंद्र भी स्था पत कए गए हैं। परामर्शदाताओं, मनो च कत्सकों और मनो मति वज्ञानियों सहित मान सक स्वास्थ्य पेशेवरों को भी पेशेवर ऑनलाइन परामर्श प्लेटफार्मों के उपयोग के साथ-साथ छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श और सहायता प्रदान करने के लए कार्य पर रखा गया है।

स्वायत्त संस्थाएं होने के नाते केन्द्रीय वश्व वद्यालयों और केन्द्रीय वत्तपो षत संस्थाओं ने भी शकायतों का समाधान करने और छात्रों के कसी भी वर्ग के प्रति भेदभाव को रोकने के लए अपना संस्था- व शष्ट तंत्र स्था पत कया है। यूजीसी (उच्चतर शक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) वनियम 2012 यूजीसी द्वारा जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लंग या दिव्यांगता के आधार पर उच्चतर शक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लए जारी कया गया एक वनियमन है। वनियम संस्थानों को शकायतों को दूर करने और जागरूकता कार्यक्रमों और शकायत निवारण सहित एक न्यायसंगत परिसर वातावरण को बढ़ावा देने के लए भेदभाव वरोधी अ धकारी या समान अवसर प्रकोष्ठ जैसे तंत्र स्था पत करने को अ धदे शत कया गया है। केन्द्रीय वश्व वद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ कार्यात्मक हैं।

आईआईएम राष्ट्रीय महत्व के आत्मनिर्भर संस्थान हैं जो आईआईएम अ धनियम, नियमों और वनियमों के प्रावधानों द्वारा अ भशा सत हैं। नियमों और अपनी पहल के अनुसार, आईआईएम ने समानता को बढ़ावा देने के लए स मतियां और समान अवसर सेल बनाए हैं। आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी आदि जैसे केन्द्रीय वत्तपो षत तकनीकी संस्थान संसद के अपने-अपने अ धनियमों द्वारा शा सत स्वायत्त संस्थान हैं और छात्रों की शकायतों का समाधान करने के लए रै गंग-रोधी तंत्र, एससी/एसटी/ओबीसी प्रकोष्ठ और आंतरिक शकायत स मति इन संस्थानों में पहले से ही कार्य कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, वश्व वद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शक्षा संस्थानों में भर्ती छात्रों की शकायतों के निवारण के लए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लए यूजीसी (छात्रों की शकायतों का निवारण) वनियम, 2023 को अ धसू चत कया है। वनियमों में छात्र शकायत निवारण स मति (एसजीआरसी) के गठन और अनुसू चत जातियों, अनुसू चत जनजातियों, अन्य पछडे वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों या श्रे णयों के छात्रों के साथ भेदभाव की शकायतों पर कार्रवाई करने के लए लोकपाल दिव्यांगजन की नियुक्ति का प्रावधान है।

आत्महत्या के मुद्दे का समाधान करने के लए, सरकार बहु-आयामी उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लए मान सक और भावनात्मक कल्याण के लए छात्रों, शक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही है। शक्षा मंत्रालय की एक पहल, *मनोदर्पण* में मान सक और भावनात्मक कल्याण के लए छात्रों, शक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लए गति व धयों की एक वस्तृत श्रृंखला शा मल है, जैसे क राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन जो प्र श क्षत परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है; सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी हितधारकों, छात्रों के बीच मान सक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लए निय मत रूप से आयोजित कए जाने वाले लाइव इंटरैक्टिव सत्र *'सहयोग'* और वेबिनार *'परिचर्चा'* का आयोजन कया जाता है।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति के संबंध में दिनांक 06.01.2023 को उच्चतर शक्षा संस्थानों को एडवाइजरी जारी की। यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को उच्चतर शक्षा संस्थानों में शारीरिक फटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लए दिशानिर्देश भी जारी कए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों की भावनात्मक और मान सक कल्याण के लए एक व्यापक रूपरेखा भी परिचा लत की है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शा मल करने और छात्र समुदाय में वश्वास की भावना पैदा करने के लए स क्रय उपाय करने का अनुरोध कया गया है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य और मान सक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लए खेल, योग, ध्यान आदि पर बल दिया गया है। उच्चतर शक्षा संस्थान योग कार्यक्रम कैलेंडर, योग पर सम र्पत पाठ्यक्रम आदि शुरू करके परिसर में शैक्ष णक जीवन में योग के एकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

उच्चतर शक्षा वभाग ने मालवीय मशन शक्षक प्र शक्षण कार्यक्रम के तहत सकारात्मक मान सक स्वास्थ्य, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देने के लए एकीकृत पहुंच की शुरूआत की है ता क छात्रों की मान सक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लए संकाय को प्रारं भक हस्तक्षेप के लए सशक्त बनाया जा सके।

देश में दुर्घटनावश होने वाली मौतों और आत्महत्याओं से संबंधत आंकड़ों का व्यापक वश्लेषण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में वार्षक दुर्घटना मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रकाशत कया गया है। छात्रों की आत्महत्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्टों में उपलब्ध है, जो https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html. पर देखी जा सकती है।

*****